उप खण्ड अधिकारी
बारां

20 अभिभाषक परिषद के नोटिस स्थगित रखने की सूचना दी। वास्ते अग्रिम वादी दिनांक 14/9/20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

1/20 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। वकील वादी अग्रिम पेश करने का समय चाहते हैं वास्ते अग्रिम वादी दिनांक 17/10/20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

19/10/20 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित नहीं। वास्ते अग्रिम वादी दिनांक 7/12/20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

29/1/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित। बार-बार इस मुकदमे समय पर आवाज पुकारकर गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो। बाद तामील [illegible] पैरवी से फीसदी हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner